

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/लिफ्ट/2020-21/ 9074

दिनांक : 08/03/2021

निदेशक,
स्वच्छ परियोजना,
पुलिस अन्वेषण भवन के आगे,
बडी रोड उदयपुर।

विषय : नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 424-33 दिनांक 05.01.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से कराने की अनुपालना में प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से विभागीय आदेश क्रमांक एफ-6 () लेखा/सीटीएडी/अधिकारो प्रत्यायोजन/2020-21/5726 दिनांक 15.02.2021 अनुसार एक वर्ष में 5 करोड़ के अधिक के कार्य स्वीकृत होने से प्रशासनिक व्यय 4 प्रतिशत अनुमत करते हुए निम्नानुसार नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के निर्माण एवं स्थापना की कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 502.28 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जलोत्थान सिंचाई योजना का स्थान	प्रशा. स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		कृषक द्वारा 10 प्रतिशत देय राशि	विभाग द्वारा 90 प्रतिशत देय राशि	प्रथम किशत देय राशि
		क्र./दि.	राशि	क्र./दि.	राशि			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	जिला बांसवाडा							
1	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई परतापुरा ग्रा.पं. मोटागाव पं.स.घाटोल	424-33 05.01.2021	35.00	138/ 9.02.2021	48.52	4.53	43.99	35.19
2	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई गुंदी कला ग्रा.पं. सातसेरा पं.स. सज्जनगढ	424-33 05.01.2021	39.00	139/ 9.02.2021	57.67	5.38	52.29	41.83
	योग		74.00		106.19	9.91	96.28	77.02
	जिला प्रतापगढ							
3	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई आतमगापाडा महुवाल ग्रा.पं. महुवाल पं.स. पीपलखुंट	424-33 05.01.2021	45.00	143/ 9.02.2021	58.09	5.42	52.67	42.14
	योग		45.00		58.09	5.42	52.67	42.14
	जिला डूंगरपुर							
4	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई सपरीयाफला सामाधरा ग्रा.पं. तम्बोलिया पं.स. गलियाकोट	424-33 05.01.2021	40.00	27/15.02. 21	52.71	4.92	47.79	38.23
5	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई रोतफला गरीयाता ग्रा.पं. गरीयाता पं.स. गलियाकोट	424-33 05.01.2021	35.00	28/15.02. 21	42.06	3.92	38.14	30.51
6	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई भटवाडा ग्रा.पं. भटवाडा पं.स. डूंगरपुर	424-33 05.01.2021	38.00	33/15.02.21	51.60	4.81	46.79	37.43
7	नवीन जलोत्थान सिंचाई सटोडा ग्रा.पं. भटवाडा पं.स. डूंगरपुर	424-33	38.00	34/15.02.21	46.44	4.33	42.11	33.69

8	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई कन्दूला ग्रा.पं. रोहनवाडा पं.स. डूंगरपुर	424-33 05.01.2021	38.00	35/15.02.21	47.51	4.43	43.08	34.46
9	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई मझोला ग्रा.पं. मझोला पं.स. डूंगरपुर	424-33 05.01.2021	40.00	37/15.02.21	49.06	4.58	44.48	35.58
10	नवीन सौर जलोत्थान सिंचाई पादरडी ग्रा.पं. मझोला पं.स. डूंगरपुर	424-33 05.01.2021	40.00	36/15.02.21	48.62	4.54	44.08	35.26
	योग		269.00		338.00	31.53	306.47	245.18
	महायोग		388.00		502.28	46.86	455.42	364.34

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 502.28 लाख में से टीएडी मद की देय राशि 455.42 लाख के विरुद्ध प्रथम किशत की (80 प्रतिशत) राशि 364.34 लाख रु. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या-4/2020-21 राशि 31.67 लाख एवं स्वीकृति संख्या-24/2020-21 राशि 500.00 में से राशि 332.67 लाख निदेशक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को देय होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्य के सम्पादन में कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी -

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का Third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. प्रस्तावित जल स्रोत में योजना की आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
8. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं में लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि विवरण सत्यापित कर इस कार्यालय को सूचित किया जावे। योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों में से 50 प्रतिशत से अधिक (संख्या एवं क्षेत्रफल) जनजाति कृषक का होगा।
9. स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में लाभान्वित कृषकों से ली जायेगी। कृषकों का अंशदान नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों कृषकों से अनिवार्य रूप से वहन किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किए जावे।
10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु लाभार्थियों की समिति गठित की जावे एवं कमेटी का अध्यक्ष जनजाति लाभार्थियों में से होगा।
11. उपायुक्त टीएडी द्वारा निर्माण कार्यों की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जावे।

12. निर्माण कार्य पश्चात् कार्य संचालन हेतु उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर रख-रखाव हेतु प्रति माह बैठक रखी जावे तथा बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावे।
13. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्ष तक परियोजनाओं का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना चालु होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लाभान्वितों, स्वच्छ परियोजना एवं ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग जारी किये जावे। इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही प्रतिवर्ष रख रखाव का भुगतान किया जावे।
14. स्वच्छ परियोजना द्वारा समय-2 पर (सिंचाई के समय 15 दिवस एवं शेष समय में 2 माह में एक बार) लाभान्वितों की बैठक आयोजित की जावे। जिसमें संचालन व्यय, लाभार्थी द्वारा उपभोग की गई विद्युत युनिट का भुगतान कराना एवं आपसी विवाद यथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना, आदि समस्याओं का निराकरण किया जावे।
15. स्वच्छ परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समय-समय पर कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फसल चक्र, उन्नत बीज, खाद की जानकारी कृषकों को दी जावे।



(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS

आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित लिपट/2019-20/ 9074-88 दिनांक : 8/3/2021
प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा/प्रतापगढ/डूंगरपुर।
4. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा/प्रतापगढ/डूंगरपुर।
5. परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना, पुलिस अन्वेषण भवन के आगे बडी रोड उदयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कार्य कुल राशि 502.28 लाख में से टीएडी मद की देय राशि 455.42 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त की (80 प्रतिशत) राशि **364.34** लाख रु. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या-4/2020-21 राशि 31.67 लाख एवं स्वीकृति संख्या-24/2020-21 राशि 500.00 में से राशि **332.67** लाख निदेशक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तान्तरित करावे।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
9. परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, लोधा जी.एस.एस. के सामने, डूंगरपुर रोड, बांसवाडा।
10. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, साबेला बायपास रोड हॉटल गोल्डन विंग के पीछे नवाडेरा, डूंगरपुर।
11. गार्ड फाईल।

10
अति. आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर (राज.)